# भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून की ज़रूरत क्यों है?

### *UPSC प्रासंगिकता*

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन, नियामक ढाँचे, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ**
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष क्षेत्र, स्टार्टअप, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

### *चर्चा में क्यों?*

भारत 23 अगस्त को **दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस** मनाएगा। यह दिन 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। अब भारत गगनयान (पहला मानव अंतरिक्ष मिशन) और भारत अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े मिशनों की तैयारी कर रहा है। यानी भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालाँकि इसकी एक बड़ी कमी है की भारत के पास अब तक कोई राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं है। अभी **इसरो** और **इन-स्पेस** जैसी संस्थाएँ काम कर रही हैं, पर क़ानून न होने से नियम पूरी तरह साफ़ नहीं हैं। अगर इसके लिए क़ानून बनेगा तो सरकार और निजी कंपनियों को कानूनी स्पष्टता मिलेगी, अंतरिक्ष गतिविधियों में ज़िम्मेदारी तय होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

### *पृष्ठभूमि: वैश्विक अंतरिक्ष क़ानून*

**बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty), 1967 क्या है?**

यह अंतरिक्ष गतिविधियों पर सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिस पर भारत समेत 110 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके मुख्य सिद्धांत हैं:

1. **अंतरिक्ष पूरी मानवता का है** — कोई भी देश चाँद, ग्रह या अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर स्वामित्व नहीं जमा सकता।
2. **इसका इस्तेमाल केवल शांति और विज्ञान के लिए होगा** —इसमें परमाणु हथियार या सैन्य ठिकाने नहीं बनाए जा सकते।
3. हर देश अपने सरकारी और निजी अंतरिक्ष कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होगा।
4. अगर किसी देश का रॉकेट या उपग्रह दूसरे को नुकसान पहुँचाता है तो उसकी भरपाई वही देश करेगा।

**महत्वपूर्ण बात:** यह संधि सिर्फ़ दिशा-निर्देश देती है, लेकिन हर देश को इन्हें लागू करने के लिए अपने राष्ट्रीय क़ानून बनाने पड़ते हैं।

### *देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून क्यों बनाते हैं?*

- देश अंतरिक्ष सम्बन्धी कानून इसीलिए बनाते हैं ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों में नियम और ज़िम्मेदारी तय हो सके। सबसे पहले, **बाह्य अंतरिक्ष संधि** को अपने घरेलू कानूनों में लागू किया जाता है। दूसरा, यह निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए कानूनी स्पष्टता देता है ताकि वे सुरक्षित ढंग से काम कर सकें। तीसरा, यह सुनिश्चित करता हैं कि अंतरिक्ष में कामकाज सुरक्षित, टिकाऊ और ज़िम्मेदारी के साथ हो।
- **उदाहरण के लिए:** अमेरिका ने अपने **स्पेस एक्ट 2015** में निजी कंपनियों को चाँद से संसाधन निकालने की अनुमति दी है। इसी तरह **लक्ज़मबर्ग और जापान** ने भी क़ानून बनाए हैं ताकि निजी कंपनियाँ कानूनी रूप से अंतरिक्ष में काम कर सकें।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
9235440806

### *अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत का दृष्टिकोण*

भारत ने बाह्य अंतरिक्ष संधि और अन्य संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संधियों को स्वीकार किया है, लेकिन अब तक कोई राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं बनाया है। भारत धीरे-धीरे कदम बढ़ाने की नीति अपना रहा है।

1. **भारतीय अंतरिक्ष नीति (2023)** – इसमें इसरो, इन-स्पेस और निजी कंपनियों की भूमिकाएँ तय की गई हैं।
2. **इन-स्पेस (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre)** – यह एक नियामक संस्था है जो निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देती है।
3. **भारतीय मानक सूची (Catalogue of Indian Standards for Space Industry)** – सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने में सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
4. **इन-स्पेस मानक, दिशा-निर्देश और प्रक्रिया (NPG)** – निजी कंपनियों को अंतरिक्ष परियोजनाओं की अनुमति लेने के लिए नियम बताती है।

लेकिन अभी एक बड़ी कमी यह है की एक सम्पूर्ण ढांचा देने वाला **स्पष्ट राष्ट्रीय क़ानून** नहीं है। ऐसा क़ानून बनने से इन-स्पेस को कानूनी ताक़त मिलेगी और भारत की अंतरिक्ष संधियों के तहत ज़िम्मेदारियाँ कानूनी रूप से लागू हो पाएँगी।

### *उद्योग के दृष्टिकोण और चुनौतियाँ*

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियाँ और स्टार्टअप्स तेज़ी से प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट क़ानून न होने से कई चुनातियाँ सामने आ रही हैं।

- **इन-स्पेस की सीमाएँ:** कानूनी ताक़त न होने से इसकी मंज़ूरियाँ अदालत में चुनौती दी जा सकती हैं।
- **लाइसेंस में देरी:** अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल नागरिक और रक्षा दोनों कामों में हो सकता है, इसलिए कई मंत्रालयों की अनुमति लेनी पड़ती है।
- **विदेशी निवेश की बाधा (FDI):** मौजूदा नीति स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि सैटेलाइट पुर्ज़ों के निर्माण में 100% विदेशी निवेश स्वत: अनुमति मार्ग से हो तो पूँजी आ सकती है, लेकिन नियम अभी अस्पष्ट हैं।
- **बीमा की कमी:** भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़िम्मेदार है अगर उसके यहाँ से छोड़ा गया सैटेलाइट या रॉकेट नुकसान करे। निजी कंपनियों को भी तीसरे पक्ष का बीमा कराना पड़ता है, पर सस्ता और व्यावहारिक बीमा ढाँचा नहीं है, जिससे स्टार्टअप्स को मुश्किल होती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** स्टार्टअप्स को डर है कि उनकी खोजें सरकारी नियंत्रण में चली जाएँगी। कानून ऐसा होना चाहिए जो नवाचार की रक्षा करे, साझेदारी को बढ़ावा दे और प्रतिभा का विदेश पलायन रोके।
- **सुरक्षा और मलबा प्रबंधन:** भारत को अंतरिक्ष मलबा साफ़ करने, हादसों की जाँच करने और सैटेलाइट डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट कानूनों की ज़रूरत है।

### *स्टार्टअप्स के लिए बीमा क्यों ज़रूरी है*

अंतरिक्ष मिशन बहुत जोखिम भरे और महंगे होते हैं। एक सैटेलाइट की लागत ही सैकड़ों करोड़ तक पहुँच सकती है। अगर किसी निजी कंपनी का सैटेलाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और नुकसान करे (जैसे कक्षा में टकराव या धरती पर मलबा गिरना), तो अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार ज़िम्मेदारी भारत की होगी।

- सस्ता और उपलब्ध बीमा स्टार्टअप्स को दुर्घटनाओं से दिवालिया होने से बचाएगा।
- यह निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाएगा क्योंकि जोखिम कम होगा।

- **उदाहरण:** अमेरिका में निजी अंतरिक्ष कंपनियों को प्रक्षेपण से पहले अनिवार्य रूप से बीमा लेना पड़ता है।

### *आगे की राह*

1. एक व्यापक **राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून** बनाना जिसमें लाइसेंस, ज़िम्मेदारी, बीमा, मलबा प्रबंधन और विदेशी निवेशके नियम शामिल हों।
2. **इन-स्पेस** को कानूनी ताक़त देकर इसे केंद्रीय नियामक संस्था बनाना।
3. मंज़ूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए **सिंगल-विंडो सिस्टम** शुरू करना।
4. स्टार्टअप्स को सस्ती बीमा योजना, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और निवेशक अनुकूल नियमों से सहयोग देना।
5. अंतरिक्ष की **सततता** के लिए मलबा साफ़ करने और हादसों की जाँच के स्पष्ट नियम बनाना।
6. कानूनों को संयुक्त राष्ट्र की संधियों के अनुरूप रखते हुए भारत के **व्यावसायिक हितों** की रक्षा करना।

### *निष्कर्ष*

भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है — चंद्रयान-3 से लेकर गगनयान और आगे के मिशनों तक। लेकिन बिना स्पष्ट क़ानून के निजी कंपनियाँ अनिश्चितता में हैं, निवेशक हिचकते हैं और अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी का जोखिम बढ़ा रहता है।
एक **राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून** भारत के कार्यक्रम को सुरक्षित, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित बनाएगा। साथ ही यह स्टार्टअप्स को सहारा देगा, नवाचार की रक्षा करेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत करेगा।

### यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1.**निम्नलिखित में से कौन-सी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ बाह्य अंतरिक्ष में गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं?

1. बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967
2. चंद्रमा समझौता, 1979
3. अंटार्कटिक संधि, 1959
4. दायित्व सम्मेलन, 1972

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1, 2 और 4
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2, 3 और 4

**उत्तर:** (B) केवल 1, 2 और 4

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):** अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का मुख्य ढाँचा।
- **चंद्रमा समझौता (1979):** चंद्रमा और अन्य खगोलीय संसाधनों के उपयोग से संबंधित।
- **दायित्व सम्मेलन (1972):** अंतरिक्ष यानों से हुए नुकसान के लिए दायित्व तय करता है।
- **अंटार्कटिक संधि (1959):** यह अंटार्कटिका से संबंधित है, न कि अंतरिक्ष से।

**प्रश्न 2.** भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान में भारत के पास कोई ऐसा राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं है जो वाणिज्यिक और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करता हो।
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ही निजी अंतरिक्ष कंपनियों को नियंत्रित करने वाली एकमात्र संस्था है।
3. निजी भारतीय अंतरिक्ष संस्थाओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत दायित्व भारत सरकार पर ही आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

**उत्तर:** (C) केवल 1 और 3

- **कथन 1:** सही। भारत के पास अभी मसौदा विधेयक हैं लेकिन अंतिम कानून नहीं है।
- **कथन 2:** ग़लत। इसरो मिशन संचालित करता है, लेकिन निजी कंपनियों का नियमन अबइन-स्पेस (IN-SPACe) को सौंपा जा रहा है।
- **कथन 3:** सही। दायित्व सम्मेलन, 1972 के अनुसार दायित्व राज्य (भारत सरकार) पर आता है, निजी कंपनी पर नहीं।

## यूपीएससी मेन्स अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1.**भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन अभी तक उसके पास एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, दायित्व संबंधी चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के संदर्भ में ऐसे कानून की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए।

*(10 अंक, 150 शब्द)*

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
9235313184, 9235440806